<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 156/25 GCMS NO 2025/238

1. भरोसी
2. बाबू पुत्रान स्व0 बुद्वा जाति जाटव निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
3. जमुनी पुत्री स्व0बुद्वा जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
4. मीरा पत्नि स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
5. संगीता पुत्री स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
6. अवकेश आयु 15 साल
7. भीमसेन आयु 13 साल
8. बने सिह आयु 9 साल पुत्रान स्व0वासुदेव नाबालिग जरिये वली कुदरती माता मीना स्त्री स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
9. बबीता पुत्र स्व0वासुदेव आयु 17 साल
10. विनाची पुत्री स्व0वासुदेव आयु 11 साल नाबालिंग जरिये वली कुदरती माता मीरा स्त्री स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. मु0गोली स्त्री स्व0सुन्दर
2. भंवरलाल पुत्र स्व0सुन्दर
3. रामलाल पुत्र स्व0सुन्दर
4. रामवीर पुत्र स्व0सुन्दर जातियान जाटव निवासीयान ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली
6. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मासलपुर जिला करौली

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 17/25 निर्णय दिनांक 31.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अबरार अहमद

दिनांक 27.04.2026

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा अर्थात 0.3162 है0 ग्राम पिपरानी सायलान के पिता व पितामह बुद्वा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 156 / 25 GCMS NO 2025/238

1. भरोसी
2. बाबू पुत्रान स्व0 बुद्वा जाति जाटव निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
3. जमुनी पुत्री स्व0बुद्वा जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
4. मीरा पत्नि स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
5. संगीता पुत्री स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
6. अवकेश आयु 15 साल
7. भीमसेन आयु 13 साल
8. बने सिह आयु 9 साल पुत्रान स्व0वासुदेव नाबालिग जरिये वली कुदरती माता मीना स्त्री स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
9. बबीता पुत्र स्व0वासुदेव आयु 17 साल
10. विनाची पुत्री स्व0वासुदेव आयु 11 साल नाबालिंग जरिये वली कुदरती माता मीरा स्त्री स्व0वासुदेव जाति जाटव निवासी पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. मु0गोली स्त्री स्व0सुन्दर
2. भंवरलाल पुत्र स्व0सुन्दर
3. रामलाल पुत्र स्व0सुन्दर
4. रामवीर पुत्र स्व0सुन्दर जातियान जाटव निवासीयान ग्राम पीपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली
6. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मासलपुर जिला करौली

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 17 / 25 निर्णय दिनांक 31.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)
अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अबरार अहमद

दिनांक 27.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान / अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा अर्थात 0.3162 है0 ग्राम पिपरानी सायलान के पिता व पितामह बुद्वा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सेटलमेंट वर्ष 2015 मे बुद्दा पुत्र खचेरा के हक मे रहा है। जो जमाबंदी सम्वत 2015 से स्पष्ट है। सायलान मृतक बुद्दा पुत्र खचेरा जाति जाटव ग्राम पिपरानी के पुत्रगण है एवं बुद्दा के पुत्र वासुदेव के पुत्र पुत्री व पत्नि है। सायलान मृतक बुद्दा पुत्र खचेरा के वारिसान है। बुद्दा की पत्नि का पूर्व मे ही स्वर्गवास हो चुका है। सायलान विधि अनुसार बुद्दा पुत्र खचेरा के एवं बुद्दा के पुत्र बासुदेव के उत्तराधिकारी है। सायलान के बुजुर्गान की आर्थिक स्थित ठीक थी वह कृषि कार्य एवं मकान निर्माण का कार्य करते थे। उनको कृषि भूमि को विकय करने की कोई जरूरत नही थी आज से 60 वर्ष पूर्व जमीन विकय करने की जरूरत नही रही है। बुद्दा पुत्र खचेरा खसरा न0 771,797, 781,464,774 की भूमि का 5 बीघा 13 विस्वा एवं अन्य भूमि को अपने जीवनकाल मे काश्त करते रहे है। और खसरा न0 771 एवं खसरा न0 797 की भूमि को बुद्दा के जीवन काल से ही उनके साथ काश्त करते रहे है। आज भी खसरा न0 797 व 771 की भूमि को काश्त कर रहे है गैरसायलान का कब्जा काश्त नही है एवं खसरा न0 797 की भूमि गैरसायलान के पिता सुन्दर ने कभी कब्जा काश्त मे नही रही है। नामा0 संख्या 40 स्वीकृत दिनांक 10.9.63 पूर्णतया विधि विरूद्व है। मानमाना है कूटरचित एवं फर्जी है। यह नामा0 हक हकूक सायलान खातेदारी अधिकार व प्रभावहीन एवं शून्य है। अवैध है। ऐसे नामा0 से सुन्दर को कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त (सृजित) नही हुए है और सायलान के पिता सायलान के खातेदारी अधिकार विधि अनुसार समाप्त नही हुए है। भूमि विक्रय किये जाने बाबत कोई विकय पत्र नही हुआ है ऐसा कोई विकय पत्र होना नामा0 संख्या 40 के विवरण अंकित नही किया गया है । कोई दान पत्र या वसीयत पत्र होना भी नामा0 संख्या 40 मे दर्ज नही किया है। कीमत 45/—रूपये बुद्दा को सुन्दर ने अदा किये हो ऐसा भी कोई दस्तावेज लिखित नही है। नामा0 मे कीमत 45/—रूपये देना चाहता है दर्ज किया है स्पष्ट है कि प्रतिफल धनराशि भुगतान नही होना स्पष्ट है । कोई लिखापढी भूमि बेचान नही है यह स्पष्ट हुआ है जब सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत अचल सम्पति का बेचान या दान तहरीर तकमील ही नही हुआ है तब कार्यवाही नामा0संख्या 40 पूर्णयता विधि विरूद्व है मनमाना है अवेध है। गैरसायलान के हक मे पिता गैरसायलान के हक मे हुए नामा0 इन्द्राज एवं जमाबंदी मे दर्ज हुए खातेदारी इन्द्राज वहक गैरसायलान हक हकूक खातेदारी अधिकार बुद्दा पुत्र खचेरा एवं हम सायलान के खातेदारी अधिकारो पर प्रभावहीन व शून्य है। रजामंदी भूमि बेचान नही होता है ना ही सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम मे ऐसा कोई प्रावधान है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे भी ऐसा कोई प्रावधान नही है। कृषि भूमि अचल सम्पति है जिसका हस्तान्तरण सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानो के अधीन होता है। नामा0 से अचल सम्पति मे अधिकार तय नही होते है। सम्पति हस्तान्तरण मे वास्तविक तौर पर प्रतिफल भुगतान किया जाना होता है। इस नामा0 से ही स्पष्ट है कि प्रतिफल धनराशि का भुगतान नही हुआ है। और प्रतिफल भुगतान नही होने पर सव्यवहार शून्य होता है। विकय पत्र मे प्रतिफल भुगतान जरूरी है। कब्जे का वास्तविक हस्तान्तरण होना होता है जो नही हुआ है कब्जा बुद्दा के जीवनकाल तक बुद्दा का इस भूमि पर रहा है और उनकी मृत्यु के वाद से सायलान का उक्त भूमि खसरा न0 797 पर कब्जा काश्त है। सायलान ही भूमि को काश्त कर रहे है। बेचान करार से भी खातेदारी अधिकार कृषि भूमि मे सृजित नही होते है बुद्दा द्वारा सुन्दर को विधि अनुसार भूमि बेचान नही किया है। सायलान अपने हक मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है। नामा0 पर बुद्दा के हस्ताक्षर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नही है बुद्वा की ओर से भूमि का बेचान किया गया है बुद्वा की नामा० के समय कोई उपस्थिति नही बताई गई है। इसलिए नामा० फर्जी कूटरचित है। जो हक हकूक सायलान के खातेदारी अधिकारो पर प्रभावहीन है। गैरसायलान द्वारा सायलान की फसल गैहू मे व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। गैरसायलान द्वारा अवैध खातेदारी इन्द्राजात की आड मे भूमि को भूमाफियाओ को बेचान करने पर आमादा है जिससे हम सायलान के हक हकूको पर भारी आघात है। इसलिए न्यायहित मे गैरसायलान को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह सायलान के भूमि के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नही करे भूमि को किसी दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरण नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया आरबेटरी व मनमाना होने से निरस्त योग्य है। आराजी खसरा न० 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ग्राम पिपरानी तहसील मासलपुर अपीलांट/सायलान के पिता व पितामह बुद्वा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2015 मे बुद्वा पुत्र खचेरा के हक मे रहा है। अपीलांट मृतक बुद्वा के वारिसान है। इस स्थिति को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर विधि विरूद्व रूप से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के पिता व पितामह की आर्थिक स्थिति ठीक थी उनको जमीन को बेचान करने की कोई आवश्यकता नही थी। वादग्रस्त भूमि खसरा न० 771 तथा 761,764,774 की भूमि को अपने जीवनकाल तक काश्त करते रहे है। अपीलांट काश्त करते हुए बुद्वा के जीवनकाल से चले आ रहे है खसरा न० 797 व 71 की भूमि को व अन्य भूमि को अपीलांट काश्त करते चले आ रहे है। खसरा न० 797 की भूमि पर रेस्पो० न० 1 ता 4 का कोई कब्जा काश्त नही है। इस भूमि पर रेस्पो० के पिता सुन्दर का भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। नामा० संख्या 40 दिनांक 10.9.63 पूर्णतया विधि विरूद्व है कूटरचित , मनमाना एवं फर्जी है। यह नामा० हक हकूक अपीलांट खातेदारी अधिकार प्रभावहीन है एवं शून्य है ऐसे नामा० से सुन्दर को कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नही हुए है और बुद्वा के खातेदारी अधिकार विधि अनुसार विधि अनुसार समाप्त नही हुए है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि रेस्पो० संख्या 1 ता 4 के खातेदारी की मानते हुए विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। भूमि विक्रय किये जाने बाबत कोई विक्रय पत्र पंजीयन नही हुआ है। ऐसा कोई विक्रय पत्र. होना नामा० संख्या 40 के विवरण मे अंकित नही किया है कोई दानपत्र या वसीयत पत्र होना भी नामा० मे दर्ज नही किया है। कीमत 45/—रूपये बुद्वा को सुन्दर को अदा किये हो ऐसा कोई भी दस्तावेज लिखित नही है ना ही नामा० मे रूपये बुद्वा को सुन्दर ने अदा किये हो दर्ज नही है। नामा० मे कीमत 45/—रूपये देना चाहता है दर्ज किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जिससे स्पष्ट है कि प्रतिफल धनराशि भुगतान नही हुआ है। कोई लिखा पढी भूमि बेचान की नही है। जब सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत अचल सम्पति का बेचान या दान पत्र तहरीर तकमील नही हुआ है तब कार्यवाही नामा0 पूर्णतया विधि विरूद्व है। और सायलान के व पिता सायलान के खातेदारी अधिकार प्रारंभ से ही शून्य प्रभावहीन है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हक मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करके एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट/सायलान खारिज करने मे भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र मे अपीलांट/सायलान द्वारा दर्ज किये गये समस्त तथ्य दावे मे उभयपक्ष को साक्ष्य के बाद अंतिम निर्णय पर तय किये जाने है और दावे के निर्णय तक जैर अपील वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति विधि अनुसार रक्षा जाना न्यायोचित है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा न0 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा अर्थात 0.3162 है0 ग्राम पिपरानी तहसील मासलपुर के अपीलांट/सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान नही करे एवं भूमि को हस्तान्तरण नही करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि आराजी खसरा न0 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा वक्त सेटलमेंट वर्ष 2015 सम्वत मे बुद्वा पुत्र खचेरा के हक मे रही है बुद्वा पुत्र खचेरा द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओ के लिए उक्त आराजी को करीब 62 वर्ष पूर्व सुन्दर पुत्र खचेरा गैरसायलान के पिता /पति को विक्रय कर दिया व कब्जा मौके पर उक्त आराजी पर करवा दिया । जिसका नामा0 पटवारी हल्का द्वारा समस्त जानकारी के उपरान्त दिनांक 7.7.62 को भरा जाकर दिनांक 10.9.63 को सरपंच को पेश किया गया जो दिनांक 10.9.63 को गैरसायलान के पिता /पति सुन्दर पुत्र खचेरा चमार के नाम खोला जाकर तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल किया गया। सुन्दर की मृत्यु के बाद गैरसायलान 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। गैरसायलान अपने पिता/पति के समय से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जो आज भी काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा मृतक बुद्वा पुत्र खचेरा के पुत्र पुत्री होने व ग्राम पीपरानी मे निवास करने से सबंधित कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से सभी का पता पिपरानी गलत अंकित किया है। अपीलांट/सायलान को उक्त भूमि के सबंध मे दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। अपीलांट/सायलान मृतक बुद्वा पुत्र खचेरा के वारिसान नही है उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है ना ही अपीलांट/सायलान बुद्वा पुत्र खचेरा के उत्तराधिकारी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अपीलांट/सायलान द्वारा बुद्वा पुत्र खचेरा की आर्थिक स्थिति के बारे मे मनगढन्त कहानी बनाई है। अपीलांट/सायलान द्वारा बुद्वा पुत्र खचेरा को कभी काश्त करते ही नही देखा है। सत्यता यह है कि विवादित भूमि रेस्पो/गैरसायलान 1 लगायत 4 के पिता/पति को बुद्वा पुत्र खचेरा ने आज से करीब 62 वर्ष पूर्व ही विक्रय कर दिया था। जिसका विधिवत रूप से नामा0 भरा जाकर सुन्दर पुत्र खचेरा के के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नाम तस्दीक हुआ है। तब से सुन्दर पुत्र खचेरा उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त रहा है एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त रेस्पो/गैरसायलान 1 ता 4 उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। अपीलांट/सायलान द्वारा नामा0 को बिना देखे गलत इन्टरपिटेशन अपने फायदे के अनुसार अपने पक्ष मे किया है सत्यता यह है कि जब नामा0 संख्या 40 को देखने से पता चलता है कि हल्का पटवारी ग्राम पंचायत खूडा देवरी पिपरानी के द्वारा भरे गये नामा0 संख्या 40 गत जमाबदी के खाते नं0 संख्या 60 ग्राम पिपरानी भूमि अधिकारी खालसा कृषक का नाम बुद्वा पुत्र खचेरा कोम चमार साकिन दह मु0क0 भूमि का विवरण खसरा न0 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा भूमि कर 2 पैसा नवीन खाता संख्या 137 खरीददार कृषक का नाम सुन्दर पुत्र खचेरा परिवर्तन की किश्म पटवारी द्वारा रजामंदी बाबत पूछा जाता है तो विक्रेता ने रजामंदी से 45 रूपया मे बेचना/कीमत बताया इसके बाद पटवारी द्वारा तीन लाईनो मे नोट लगाया गया जिसमे विक्रय दस्तावेज की तुलना जमाबंदी व खाता से की जाती है जिस नोट के अनुसार जमाबंदी के खाता संख्या व खसरा न0 से तुलना की गई व अकनो अनुसार सही है। दिनांक 7.7.63 लिखा है। इसके बाद नामा0 सरपंच ग्राम पंचायत खूडा मुकाम देवरी के समक्ष पेश किया गया जिसमे सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.9.63 को बुद्वा पुत्र खचेरा खातेदार से पूछने पर उसने अपनी आराजी को सुन्दर पुत्र खचेरा चमार कीमत 45 रूपये मे अपनी से राजी से बेचना बताया है। जिस पर दोनो पक्षो को सुनने पर नामा0 सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है। तथा पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड मे अमल करने हेतु व शुल्क नियमानुसार वसूलने के आदेश दिये गये है। जिस पर मौके पर ही राजस्व रिकार्ड मे व कागजात मे अमल किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा हस्ताक्षर किये गये जब नामा0 सुन्दर पुत्र खचेरा के नाम तस्दीक हुआ। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि नामा0 मे बेचान बाबत कोई अंकन नही है जबकि नामा0 मे बेचान बाबत किसी प्रका का अंकन नही होता है। अपीलांट/सायलन का उक्त आराजी पर कब्जा कभी भी नही रहा है। अपीलांट/सायलान द्वारा भूमि पर बाजरे की फसल काश्त करने की बात गलत दर्ज की गई थी। वादग्रस्त भूमि के गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार है किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अपीलांट/सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता व सरोकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक आदेश है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट/सायलान द्वारा झूठे एवं मनगढन्त आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से खारिज किया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 797 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा अर्थात 0.3162 है0 ग्राम पिपरानी सायलान के पिता व पितामह बुद्वा पुत्र खचेरा जाति जाटव के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। परन्तु रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट/सायलान का बुद्वा पुत्र खचेरा से किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता नही रहा है। बुद्वा पुत्र खचेरा उनका कोई पूर्वज नही रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य को साबित करने के सबंध

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे केवल मात्र सजरा बताया है जबकि सजरे को रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा गलत एंव मनगढन्त बताया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे बुद्वा पुत्र खचेरा उनका पूर्वज सिद्व हो सके। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन साबित नही होता है। जहाँ तक नामा0 संख्या 40 का प्रश्न है तो इस सबंध मे यह तथ्य स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे नामा0 के सबंध मे किसी प्रकार का कोई उल्लेख या वर्जन किया जाना न्यायोचित नही है। हस्तगत प्रकरण मे केवल प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2072–2075 मे गैरसायलान/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस अपीलांट/सायलान के पक्ष मे साबित नही होता है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट/सायलान का कब्जा काश्त है। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे भूमि वादग्रस्त पर कब्जा सिद्व हो सके। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध लगान की रसीदो से स्पष्ट है कि भूमि पर कब्जा सुन्दर पुत्र खचेरा का होने से उनके द्वारा लगान जमा कराया जाता रहा है। इस प्रकार जब भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त ही नही है तो उनको किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावन नही होती है। प्राईमाफेसी केस व अपूर्णनीय क्षति अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होने से साबित है कि अपीलांट के पक्ष मे सुविधा का संतुलन भी सिद्व नही होता है। चूकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे गैरसायलान/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार ही खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के मु0नं0 17/25 निर्णय दिनांक 31.07.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर